रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236952
CG-DL-E-01072022-236952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2839]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944
No. 2839]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का.आ. 2984(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क. आ. 2222(अ) दिनांक 14 जुलाई, 2017 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (नया एनएच 848) के 539.500 किमी से 563.00 किमी (वडापे से माजीवाड़े सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा हैं;

यत: पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र द्वारा बीओटी आधार पर उक्त खंड के विकास के लिए एनएच-3 (नया एनएच-848) के 539.500 किमी से 563.00 किमी तक को चार लेन बनाने हेतु रियायत करार पर मेसर्स आइडियल रोड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड , मुंबई 400014 के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

यत: उक्त करार की रियायत अवधि 13 मई 2017 को समाप्त हो गई थी।

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य में एनएच-3 (नया एनएच 848) के वडापे से ठाणे सेक्शन के 539.500 किमी से 563.00 किमी तक मौजूदा 4 लेन को 6/8 लेन के निर्माण कार्य का एक करार किया है जिसे दिनांक 04.07.2018 के करार के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर निष्पादित किया जाना है।

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (नया एनएच 848) के वडापे से ठाणे सेक्शन के डिजाइन किमी 539.500 से 563.00 किमी (विद्यमान 539.500 किमी से 563.00 किमी) हेतु सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सडक खंड की निवल लंबाई 22.483 कि.मी .और 10.17 किमी (जिनकी लंबाई 1.017 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट 40% की दर से एतद्वारा शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. **नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात्** :

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**लंबाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के खैरगांव गांव के पास एनएच-848 के 559.350 किमी (डिजाइन किमी 559.350) पर	22.483 किमी [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढ़ांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर]	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों के चार अथवा अधिक लेन के लिए 40 %

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगाः

सारणी-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	**सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (किमी में)**	**समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के खैरगांव गांव के पास एनएच-848 के 559.350 किमी (डिजाइन किमी 559.350) पर	1.017 किमी ^	10.17 किमी	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों के चार अथवा अधिक लेन के लिए 40%

विवरण निम्नानुसार है;

क्रम सं.	**चैनेज**		**बुनियादी ढांचा का प्रकार**	**लम्बाई (कि.मी. में)**
	किमी से	किमी तक		
1	558.171	558.989	काशेली बड़ा पुल	0.818
2	560.810	561.009	कालवा बड़ा पुल	0.199
कुल				**1.017** कि.मी.

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी-4		
संदेय राशि	**अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. छह/आठ लेन बनाने के कार्य के उन्नयन से संबंधित कार्य के प्रारंभ होने की तिथि से तथा उस तिथि को शुल्क की दर कार्य प्रारंभ होने की तिथि को लागू शुल्क दर की पचहत्तर प्रतिशत होगी और रियायतग्राही के साथ किए गए समझौते के अनुसार पूरा होने की तारीख और परियोजना के वास्तविक समापन की तारीख के बीच विलंबित अवधि के लिए कोई प्रयोक्ता शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **1492.92 करोड़ रुपए** है। है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा ।

[फा. सं. एनएचएआई/बीओटी/11019/01/आरएफक्यू/वाड-ठाणे/2016]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

S.O. 2984(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 2222(E) dated 14th July 2017 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India, Act 1988 (68 of 1988) , the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 539.500 to kilometer 563.00 (Vadape to Majiwade Section) of National Highway 3 (New NH 848) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India;

Whereas the concession agreement for the work of four laning from Km 539.500 to Km 563.00 of NH-3 (New NH-848) was signed with M/s Ideal Road Builders Pvt. Ltd, Mumbai 400014 for the development of the said section on BOT basis by PWD Maharashtra.

Whereas the concession period of the said agreement ended on 13th May 2017.

Whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highway Authority of India Act (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement of construction of 6/8 laning of existing 4 lane Vadape to Thane Section from Km 539.500 to Km 563.00 Section of NH-3 (New NH 848) in the State of Maharashtra to be executed on Hybrid Annuity Mode vide agreement dated 04.07.2018.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 40% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 22.483 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 10.17 km (having length of 1.017 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Vadape to Thane Section from design kilometer 539.500 to kilometer 563.00

(existing km 539.500 to km 563.00) of National Highway number 3 (New NH 848) in the State of Maharashtra and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 559.350 (Design Km 559.350)of NH-848 near Khairgaon village in Thane District of Maharashtra	22.483 kms [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	40% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 559.350 (Design Km 559.350)of NH-848 near Khairgaon village in Thane District of Maharashtra	1.017 kms^	10.17 kms	40% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.

The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	558.171	558.989	Kasheli Major Bridge	0.818
2	560.810	561.009	Kalwa Major Bridge	0.199
Total				**1.017 kms**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 285 for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. On and from the commencement of the work relating to the upgradation to six/eight laning the rate of fee shall be seventy five percent of the fees applicable on the date of commencement of the works and no user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per the agreement entered into with the concessionaire and the date of actual completion of the project.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1492.92 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. NHAI/BOT/11019/01/RFQ/Vad-Thane/2016]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.01 16:24:02 +05'30'